

दूरभाष:- 23793521  
फैक्स:- 23793521

सं. 19011/24 /2020 /के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /341 से 389

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 03/06/2020

सेवा में

- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों।
- विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायतशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
- राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी।

विषय -संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण - वर्ष 2020

महोदय/महोदया,

गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40/3/2020-डी. एम-1(ए) दिनांक 17 मई, 2020 के क्रम सं.2(III) के अनुसरण में, ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन दिनांक 15.06.2020 से किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में सभी कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

वर्ष 2020 में आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण तिथियों सहित अनुलग्नक-1 में दिया जा रहा है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्यशाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष के लिए उन्हें एक साथ नामित कर सकें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	ऑनलाइन गहन हिंदी कार्यशाला	(क) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना। (ख) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन काम को हिंदी में करने की डिझाइन को दूर करना। (ग) कार्यालयीन कार्य को करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना। (घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/साफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना।	पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय	संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/उद्यम/अभिकरण/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

### पात्रता

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान \* या प्रवीणता \*\* प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषाएँ अलग से \* / \* में दी गई हैं।)
- जो हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जिन्हें इसके बावजूद भी हिंदी में कार्यालय का कार्य करने में कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है।
- उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।  
• हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-  
मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

या

- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रबुर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत वांछित परीक्षा उत्तीर्ण की है।  
या
- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।  
\*\* हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:-
- मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है।

या

- स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो।  
या
- यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

### **नामांकन विधि एवं प्रपत्र**

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'III' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय पुष्टि पत्र भेजा जाएगा।

### **विशेष**

- ऑनलाइन गहन हिन्दी कार्यशालाओं के वार्षिक विवरण के लिए अनुलग्नक 'I' देखें।
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबंधि/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

- अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किए जाने संबंधी पत्राचार कृपया ई-मेल के माध्यम से करें ताकि संस्थान द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाए वे ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को ई-प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित एकक के प्रभारी सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23793521 पर संपर्क करें।

संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र के लिए अनुलग्नक-॥ देखें।

भवदीया,

*मृगलाल*  
०१.६.२०२०

(सुमन लाल)

प्रभारी निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/24/2020/कें.हि.प्र.सं./ अल्प.ग.प्रशि/ ३४१-३८९ दिनांक: ०३.०६.२०२०

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. ✓ सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बैंगलूरु।

*मृगलाल*  
०१.६.२०२०  
(सुमन लाल)  
प्रभारी निदेशक

## प्रशिक्षण कार्यक्रम कलैंडर - वर्ष 2020

गहन हिंदी कार्यशालाएँ

(पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)

क्रम संख्या	कार्यशाला सं.	प्रशिक्षण-अवधि
5.	495	15.06.2020 से 19.06.2020
6.	496	22.06.2020 से 26.06.2020
7.	497	06.07.2020 से 10.07.2020
8.	498	20.07.2020 से 24.07.2020
9.	499	03.08.2020 से 07.08.2020
10.	500	07.09.2020 से 11.09.2020
11.	501	21.09.2020 से 25.09.2020
12.	502	02.11.2020 से 06.11.2020
13.	503	16.11.2020 से 20.11.2020
14.	504	07.12.2020 से 11.12.2020
15.	505	14.12.2020 से 18.12.2020

संपर्क सूत्र

1.	2.
<p>निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ.परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल - dircti-dol@nic.in</p>	<p>प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521 फैक्स-011-23793521</p>

अनुलेखनक -III

प्रपत्र

अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी आहंता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं.(कार्यालय/ मोबाइल)	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता.....

दूरभाष सं. .... फैक्स नं. ....

ई मेल आई डी ..